न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 443/2022

दायर दिनांक 11.11.2022

निर्णय दिनांक 30.01.2024

उनवान

1. किशन पुत्र कालु खारोल उम्र 35 वर्ष, निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
2. लादी पुत्री कालु खारोल उम्र वयस्क, निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र बालु जाट उम्र वयस्क निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
2. नाना पत्नी गोपाल जाट उम्र वयस्क, निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
3. सोनाथ पुत्र मोती खारोल जाति खारोल,उम्र वयस्क निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
4. कल्याण पुत्र मोती खारोल जाति खारोल उम्र वयस्क निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
5. भंवर पुत्र उदा खारोल जाति खारोल उम्र वयस्क निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
6. काना पुत्र कालु बैरवा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
7. दुदा पुत्र मोडा बैरवा जाति बैरवा उम्र वयस्क निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
8. उदयलाल पुत्र देवी चमार उम्र वयस्क निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
9. मांगी पत्नी लादु बैरवा उम्र वयस्क निवासी चौपड़ा का खेड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी लादू लाल जाट

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चौपड़ा का खेड़ा प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 110 की अभिलिखित आराजियात 2328, 2339/2, 2340, 2341, 2342/1, 2346, 2347 कुल किता 07 कुल रकबा 1.6060 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा चौपड़ा का खेड़ा प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 110 की अभिलिखित आराजियात 2328, 2339/2, 2340, 2341, 2342/1, 2346, 2347 कुल किता 07 कुल रकबा 1.6060 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा